न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/166/2025	2025/396	21.11.2025	23.02.2026

1. जनक लाल पुत्र स्व० श्री बद्रीसिंह उर्फ बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

—अपीलाण्ट

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र श्रवण सिंह निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कठूगर जिला अलवर राज०

—असल रेस्पोडेण्ट

3. यशवन्त कुमार पुत्र स्व० श्री बद्रीसिंह उर्फ बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
4. दिलीप सिंह पुत्र स्व० श्री बद्रीसिंह उर्फ बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
5. सुमेर सिंह पुत्र स्व० श्री बद्रीसिंह उर्फ बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
6. सुनीता कंवर पुत्री स्व० श्री बद्रीसिंह उर्फ ब्रद्रीप्रसादद पत्नि श्री राजेश खींची निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० हाल निवासी 229 तेलीपाडा, नेहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर राज०

—तरतीवी रेस्पोडेण्ट

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

अपील विरुद्ध तहसीलदार मालाखेडा आदेश दिनांक 11.12.2010 वाके ग्राम बीजवाड नरूका तहसील अलवर हाल मालाखेडा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01—श्री कृष्ण कुमार मीणा —वकील अपी0
03—श्री पवन सिंह चौहान —वकील रेस्पो0 सं. 1
02—श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

—:**निर्णय**:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर हाल मालाखेडा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 11.12.2010 आराजी खसरा नं0 1549 विभाजन पत्र वाके ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर हाल मालाखेडा जिला अलवर राज० के आलोच्य आज्ञा व आदेश दिनांक 11.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टान को पूर्व में नहीं हो सकी, क्योंकि उक्त आदेश अपीलाण्ट, एवं तरतीबी रेस्पोडोण्टान के पिता स्वर्गीय श्री बद्रीसिंह उर्फ बद्रीप्रसाद की गैरमौजूदगी में

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

किया गया था, अपीलाण्ट को उक्त आलोच्य आदेश की जानकारी हाल राजस्व रिकार्ड देखने के उपरांत हुई, जिस पर अपीलाण्टान ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, तथा रिकार्ड व आलोच्य आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर नकल प्राप्त हुई, जिस पर पैसों की व्यवस्था की तथा कानूनी सलाह लेकर बिना देरी अपील प्रस्तुत की जा रही है। तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी आलोच्य आदेश की जानकारी ना होने के कारण हुई है जिस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को जानकारी न होने के कारण मयाद को कण्डोन किये जाने योग्य है। जिस हेतु प्रार्थनापत्र दफा 5 मयाद अधिनियम अलहदा से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपील हाजा के निस्तारण हेतु संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 1549 रकबा 0.97 हैक्टेयर वाके ग्राम बीजवाड नरूका तहसील गालाखेडा जिला अलवर राज० में स्थित है। उक्त आराजी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के 1/2 हिस्से की, एवं अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लागायत 06 के पिता स्वर्गीय श्री बद्रीसिंह उर्फ बद्रीप्रसाद के 1/2 हिस्सा शामलाती कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी थी, तथा उक्त आराजी पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 अपने 1/2 हिस्से पर तथा अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लागायत 06 के पिता श्री बद्रीसिंह उर्फ बद्रीप्रसाद 1/2 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। अपीलाण्ट के पिता श्री बद्रीसिंह उर्फ बद्रीप्रसाद का देहान्त दिनांक 29.06.2021 को हो गया, जिसके उपरांत अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लागायत 06 उक्त 1/6 हिस्से पर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलाण्ट के पिता जो कि एक सेवानिवृत व्यक्ति थे, तथा काफी वयोवृद्ध व्यक्ति थे। अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लागायत 06 इसी मुगालते में रहे कि उक्त विवादित आराजी में उनका 1/2 हिस्सा है, किन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 01 जो कि एक लालची व्यक्ति है, जिसने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान सैटलमेन्ट कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 1549 रकबा 0.97 हैक्टेयर जिसके 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का था, तथा 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लागायत 06 के पिता बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रीसिंह का था, इस तथ्य को जानते हुये एक प्रार्थनापत्र तहसीलदार अलवर हाल मालाखेडा जिला अलवर के समक्ष स्वयं एवं बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रीसिंह के फर्जी हस्ताक्षर करते हुये प्रस्तुत किया, तथा उक्त प्रार्थनापत्र पर नुमायशी जांच कर अंकन करते हुये, तथा बंटवारा पर तत कालीन पटवारी हल्का, तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर अंकित करते हुये, उक्त विवादित आराजी का बंटवारा करने के आदेश प्रदान किये, तथा उक्त आराजी बद्री पुत्र श्रवण के नाम खसरा नंबर 1549 रकबा 0.40 हैक्टेयर, तथा देवीसिंह पुत्र श्रवण के नाम 0.57 हैक्टेयर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। इसी गलत आदेश के आधार पर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उक्त विवादित आराजी के नवीन खसरा नंबर 1549 रकबा 0.57 हैक्टेयर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम तथा आराजी खसरा नंबर 1549/3005 रकबा 0.40 हैक्टेयर बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रीसिंह के नाम का अंकन हाल राजस्व रिकार्ड में किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश व विवादित आराजी के बंटवारे हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर जो हस्ताक्षर बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रीसिंह के अंकित हैं, वह हस्ताक्षर बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रीसिंह द्वारा नहीं किये गये, क्योंकि बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रीसिंह जो कि अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लागायत 06 के पिता थे, तथा एक पढे–लिखे सेवानिवृत व्यक्ति थे, जिसके अन्य कई हस्ताक्षर अन्य दस्तावेजात पर हैं, जो उनके असल हस्ताक्षर हैं, जो अपीलाण्ट के पास मौजूद हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रीसिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रार्थनापत्र पेश किया गया, तथा उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा फर्जी एवं नुमायशी रिपोर्ट तैयार की, तथा उक्त फर्जी एवं नुमायशी रिपोर्ट का बिना अवलोकन किये, तथा उसकी बिना सत्यता की जांच किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उपरोक्तानुसार आराजी खसरा नंबर 1549 रकबा 0.57 हैक्टेयर रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के नाम दर्ज किये जाने, तथा खसरा नंबर 1549/3005 बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रीसिंह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई कारण मौजूद नहीं थे, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद था, जो इस तथ्य को इंगित करता हो, कि जिस आराजी के संबंध में उनके समक्ष बंटवारे हेतु आवेदन किया गया है, तथा वह आराजी राजस्व रिकार्ड में बहिस्से बराबर 1/2 – 1/2 दोनों पक्षों के नाम से दर्ज है, उस आराजी में एक पक्ष को अधिक आराजी दी जाये, तथा दूसरे पक्ष को कम दी जावे। जिससे यह प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर हाल मालाखेडा द्वारा ना तो उक्त आलोच्य आदेश पारित करते समय पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन किया, ना ही दोनों पक्षकारों को अपने समक्ष प्रस्तुत कराया, तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा दी गई फर्जी एवं नुमायशी रिपोर्ट के आधार पर अपना आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2010 को पारित किया गया, तथा उक्त विवादित आराजी के बंटवारे के लिये आवेदन पत्र भी दिनांक 11.12.2010 को ही प्रस्तुत किया जाना आवेदन पत्र की प्रति से प्रमाणित है, तो ऐसी सूरत में आराजी के बंटवारे हेतु आदेश प्रदान करते समय किसी प्रकार की कोई उजदारी हेतु समय प्रदान नहीं किया गया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश संशय के घेरे में आता हैं, क्योंकि उजदारी हेतु कोई समय प्रदान न किया जाना समस्त कार्यवाही जल्दबाजी व सांठ–गांठ से की गई होना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करते समय ना तो मौके की कोई जांच कराई, और ना ही कब्जे के संबंध में कोई जांच कराई। जबकि मौके पर विवादित आराजी पर आज भी अपीलाण्ट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित करते समय ना तो पत्रावली का अवलोकन किया ना ही रिकार्ड व मौके की स्थिति का कोई अवलोकन किया। बिना पत्रावली, रिकार्ड व मौके की स्थिति का अवलोकन किये उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है, तथा अपना आलोच्य आदेश पारित करते समय अपीलाण्टान को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलाण्टान सद्भावी रूप से मौके पर विवादित आराजीयात पर काबिज हैं, तथा काबिज रह कर काश्त अरसे दराज से करते चले आ रहे हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस अहम तथ्य पर कोई गौर ना कर कानून की अहम भूल की है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

अतः अपील अपीलाण्टान पेश कर निवेदन है कि अपील हाजा स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर हाल मालाखेडा जिला अलवर के आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2010 को निरस्त किया जावे तथा उक्त आलोच्य आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को निरस्त किया जावे, तथा उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 1549 रकबा 0.97 हैक्टेयर वाके ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर में अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 लागायत 06 को 1/2 हिस्सा, तथा असल रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को 1/2 हिस्से के अनुसार बंटवारा किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पो० ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2010 की लगभग 15 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है जबकि अपीलांट के पिता बद्रीप्रसाद एवं रेस्पो० सं 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र विभाजन अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आराजी खसरा नं. 1549 रकबा 0.97 है० के बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की उपस्थिति बद्रीप्रसाद पुत्र श्रवण को आराजी खसरा नं. 1549 रकबा 0.40 है० व देवीसिंह पुत्र श्रवण को आराजी खसरा नं. 1549 रकबा 0.57 है० का पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन किया गया है। वक्त बंटवारे अपीलांट

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

के पिता बद्रीप्रसाद को उक्त विभाजन की जानकारी रही थी परन्तु बद्रीप्रसाद के मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिसान ने 15 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही अपीलांट ने लगभग 15 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है जबकि अपीलांट और अपीलांट के पिता को उक्त विभाजन के संबंध में प्रथम दिन से ही जानकारी रही है। विलम्ब के लिए अपीलांट ने दिन–प्रतिदिन का कोई हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत अपील मियाद अधिनियम दफा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट का यह कहना गलत है कि रेस्पो० सं 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर बद्रीप्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर से प्रा०–पत्र विभाजन प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलांट के पिता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये गये थे। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों के क्रम में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रा०–पत्र के अनुसार एवं पक्षकारों की उपस्थिति में ही बंटवारा किया गया है जो उचित एवं नियमानुसार किया गया है। अतः अपीलांट खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिंतन मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2010 के विरूद्व दिनांक 17.11.2025 को पेश की गयी है जो लगभग 15 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है परन्तु उक्त विवादित अपीलीय प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर हाल मालाखेडा द्वारा आज्ञा दिनांक 11.12.2010 वाके ग्राम बीजवाड नरूका के आराजी खसरा नं. 1549 रकबा 0.97 है० तहसील अलवर हाल मालाखेडा जिला अलवर द्वारा उक्त विवादित आराजी का बंटवारा करने के आदेश प्रदान किये, उक्त आराजी बद्री पुत्र श्रवण व देवीसिंह पुत्र श्रवण के नाम 1/2 व 1/2 दर्ज रिकार्ड थी। रेस्पो० सं. 1 ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर उक्त विवादित आराजी खसरा नं 1549 रकबा 0.97 है० का प्रार्थना–पत्र विभाजन अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें बद्रीप्रसाद जाति राणा आराजी खसरा नं. 1549 रकबा 0.40 है० व देवीसिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति राणा आराजी खसरा नं. 1549 रकबा 0.57 है० का तैयार कर प्रस्तुत किया गया जो तत्कालीन पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा करने के आदेश पारित किये गये। जबकि राजस्व रिकार्ड में बहिस्रो बराबर 1/2 व 1/2 दर्ज थी। उस आराजी मे से एक पक्ष को अधिक आराजी दी गई तथा दूसरे पक्ष को कम आराजी दी गई। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो उक्त आलोच्य आदेश पारित करते समय पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और न ही दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कराये गये। विवादित आराजी के बंटवारे हेतु प्रस्तुत प्रा०पत्र पर जो हस्ताक्षर बद्रीप्रसाद के अंकित हैं वो बद्रीप्रसाद द्वारा नहीं किये गये हैं। फर्जी हस्ताक्षर एवं पक्षकार की अनुपस्थिति में आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खरारा नं 1549 रकबा 0.97 है० वाके ग्राम बीजवाड नरूका तहसील अलवर हाल तहसील मालाखेडा का प्रा०पत्र विभाजन अन्तर्गत

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बद्रीप्रसाद जाति राणा आराजी खसरा नं. 1549 रकबा 0.40 है० व देवीसिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति राणा आराजी खसरा नं. 1549 रकबा 0.57 है० मौके एवं रिकार्ड के अनुसार प्रा0पत्र विभाजन स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अमल कराने के आदेश पारित किये गये जो दोनों पक्षकारों के मध्य बराबर–बराबर रकबे के अनुसार नही किया गया है। चूंकि, विवादित आराजी के संबंध में दो पक्षों का सम्भाग हिस्सा कायम होना चाहिए था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सम्भाग हिस्सा बिना मौका रिकॉर्ड की जांच कर विभाजन स्वीकार किया है, जो विधि की दृष्टि से उचित नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर हाल मालाखेड़ा आदेश दिनांक 11.12.2010 वाके ग्राम बीजवाड नरूका तहसील अलवर हाल मालाखेडा जिला अलवर को निरस्त किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड के अनुसार दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)